न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–138 / 2019 / 223 आर.टी.एक्ट (2019 / 00138)

1. सत्यनारायण पुत्र माधवदास जी जाति ब्राहम्ण निवासी जालिया दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कमलादेवी धर्मपत्नी श्री वासुदेव जी दमामी जाति दमामी निवासी जालिया दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
2. श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री रतनसिंह
3. श्री अर्जुनसिंह पुत्र प्रेमसिंह
4. श्री भीमसिंह पुत्र प्रेमसिंह
5. तारा बैवा प्रेमसिंह

उपरोक्त समस्त जाति दरोगा निवासी ओमनगर, लोहागल रोड, अजमेर जिला अजमेर।

6. श्रीमती पूष्पा पुत्री प्रेमसिंह पत्नी नाहरसिंह जाति दरोगा रावणा राजपूत निवासी चुन्नीलाल जी का भट्टा प्रजापति धर्मशाला के सामने सागानेरी रोड भीलवाडा जिला भीलवाडा।
7. आई0सी0आई0सी0आई बैंक जरिए शाखा प्रबंधक, जालिया सैकण्ड दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर, जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए उप–पंजीयक बिजयनगर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 89 / 2016.

उपस्थितः–

1. श्री वैभवकृष्ण पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3, 6, 7 अनुपस्थित
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–25.02.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 89 / 2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर के यहां पर वादीया / रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादी / अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध दावा अंतर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.5.2018 को वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 3, 6, 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व निम्न दस्तावेजों को हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग, फोटो कॉपी विक्रय पत्र दिनांक 10.8.2021 (मूल प्रतिलिपी न्यायालय ब्यावर जिला अजमेर के यहां पर विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत है।), नकल जमाबंदी संवत 2054 से 2057, नकल जमाबंदी संवत 2058 से 2061, नकल जमाबंदी संवत 2065 से 2068, नकल जमाबंदी संवत 2069 से 2072 उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

6. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्रदान करने से पूर्व प्रार्थी को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया और न ही कोई नोटिस प्रार्थी को प्राप्त हुआ था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुने एकतरफा में विवादित निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना अति आवश्यक था तथा प्रार्थी को दिनांक 7.3.2019 को पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारे विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर से निर्णय हो चुका है, इस तथ्य की जानकारी होते ही प्रार्थी मसूदा गया और मुकदमे से संबंधित जानकारी प्राप्त की तो उन्हें जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा दिनांक 29.5.2018 को स्वीकार कर डिक्री किया गया है। इसलिए जानकारी होते ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 7.3.2019 को प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थी को नकल दिनांक 11.3.2019 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त करने के पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया तथा दिनांक 10.4.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को अजमेर आया तथा अपने अभिभाषक से मिलकर न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर०आर०टी० 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था उनके सम्बन्ध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये थे, इसलिये अधीनस्थं न्यायालय को वादी/रेस्पोडेंट सं० 1 द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज करना चाहिए था। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रदान करके कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों का निर्धारण किया है उन तथ्यों को निर्णित करने में अधीनस्थ न्यायालय सक्षम नहीं थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में जिन तथ्यों को आधार मानकर विवादित निर्णय प्रदान किया है, वह सभी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्रदान करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया और न ही अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ इसलिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है जो कि न्याय के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है. जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार पक्षकारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना अति आवश्यक था। विवादित खसरा सं० 3492 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट ने खातेदार प्रेमसिंह के वारिस रेस्पोडेंट सं० 3 लगायत 6 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उसका हिस्सा दिनांक 10.08.2001 को खरीद की थी तथा खातेदार रतनसिंह पुत्र नन्दराम से उसका हिस्सा दिनांक 12.12.1997 को अपीलांट ने जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा था जिसके आधार पर म्युटेशन सं० 1328 दिनांक 05.05.2014 को अपीलांट के नाम तसदीक किया गया था। अपीलांट द्वारा खातेदार काश्तकार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित भूमि के खातेदारो से उनका हिस्सा खरीदा गया था, जिसके आधार पार अपीलांट खातेदार एवं काश्तकार है तथा अपीलांट का कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है तथा इससे वादी/रेस्पोडेंट सं० 1 का कोई भी हक व अधिकार नहीं है और न ही कभी भी विवादित भूमि वादी/रेस्पोडेंट सं० 1 का कब्जा एवं काश्त रहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

है। वादी/रेस्पोडेंट सं० 1 जिस तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 05.05.1979 को आधार मानकर चल रहे है उससे उसको कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा इस विक्रय पत्र के आधार पत्र वादी/रेस्पोडेंट सं० 1 को कभी भी कब्जा प्रदान नहीं किया गया था और न ही इस विक्रय पत्र के आधार पर वादी/रेस्पोडेंट सं० 1 के पक्ष में कोई नामांतरकरण तस्दीक हुआ था क्योंकि विवादित भूमि खातेदार प्रेमसिंह को सम्पूर्ण रूप से विक्रय करने का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं था इसलिए तथाकथित विक्रय पत्र पूर्णतया अवैध प्रभावहीन एंव प्रभावशुन्य है तथा इस तथाकथित विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट सं० 1 को खातेदार अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र दिनांक 12.12.1997 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित किये जाने का जो विवादित आदेश प्रदान किया है वह पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि इस बाबत केवल मात्र सिविल न्यायालय ही इस प्रकार की घोषणा करने की अधिकारी है। न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि खातेदार रतनसिंह ने अपना 1/2 दिनांक 12.12.1997 को अपीलांट के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बैचान किया था जिसके आधार पर नामांतरकरण सं0 2619 दिनांक 21.08.1998 को दर्ज किया गया था तथा इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज की गयी थी इसलिए बिना अपीलांट को सुने अपीलांट की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार एवं काश्तकार है इसलिए बिना अपीलांट को सुने अधीनस्थ न्यायालय आदेश प्रदान नहीं कर सकती थी। नायब तहसीलदार ने दिनांक 13.04.2017 को अपना जवाब प्रस्तुत किया था जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह अंकित किया था कि विवादित भूमि की खातेदारी हिस्सा 1/2 अपीलांट के नाम दर्ज है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को इस जवाब दावे के आधार पर तनकियों का निर्माण करना चाहिए था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। जबकि अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार था इसलिए अपीलांट को सुने बगैर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय व डिक्री पारित नहीं कर सकती थी। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश प्रदान करके कानूनी एवं सैद्धांतिक भूल की है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0आर0टी0 2024(1) पेज 329, आर0आर0टी0 2024(2) पेज 918, आर0आर0टी0 2024(2) पेज 912, 2009 डी0एन0जे0 एस0सी0 228.

9. राजकीय अधिवक्ता उक्त प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

10. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन यह पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर के यहां पर वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादी/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध दावा अंतर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए दिनांक 29.5.2018 को वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय प्रदान करने से पूर्व अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया और न ही अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ इसलिये अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित की है। विवादित खसरा सं० 3492 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट ने खातेदार प्रेमसिंह के वारिस रेस्पोडेंट सं० 3 लगायत 6 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उसका हिस्सा दिनांक 10.08.2001 को खरीद की थी तथा खातेदार रतनसिंह पुत्र नन्दराम से उसका हिस्सा दिनांक 12.12. 1997 को अपीलांट ने जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदा था जिसके आधार पर म्युटेशन सं० 1328 दिनांक 05.05.2014 को अपीलांट के नाम तसदीक किया गया था। अपीलांट द्वारा खातेदार काश्तकार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विवादित भूमि के खातेदारो से उनका हिस्सा खरीदा गया था, जिसके आधार पार अपीलांट खातेदार एवं काश्तकार है तथा अपीलांट का कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है। इसके संदर्भ में हमारे द्वारा जब पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट नोटिस तामील होने के बावजूद प्रकरण में अनुपस्थित रहे व उनके द्वारा कहा गया कथन कि उन्हें सूचना नहीं दी गई यह कथन निराधार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 5.5.1979 के अनुसार रतनसिंह, प्रेमसिंह पिसरान नंदराम जाति दरोगा-राजपूत निवासी जालिया दोयम द्वारा वादीया श्रीमती कमला बाई जोजे वासुदेव दमामी को विवादित भूमि खसरा नम्बर पुराना 1397 नया खसरा नम्बर 3492 रकबा 3–01–00 किस्म चाही 3 बेचान किया जाना पाया जाता है। जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के खाता संख्या 881 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 3492 रतनसिंह, प्रेमसिंह पिसरान नन्दराम कौम दरोगा अन्य खसरान सहित खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। जमांबदी संवत 2054 से 2057 के खाता संख्या 1014 में विवादित भूमि खसरा नंबर 3492 में बेचान से अन्य खसरान् के साथ खसरा संख्या 3492 रकबा 03–01–00 में से रतनसिंह ने अपना हिस्सा सत्यनारायण वल्द माधवप्रसाद कौम ब्राह्मण सा. देह 1/2 हि. का नामान्तरकरण संख्या 2619 दिनांक 21.08.1998 दर्ज है तथा इसके बाद ना.सं. 2787 दिनांक 30.05.2001 से जरिये विरासत प्रेमसिंह के स्थान पर वारिस अर्जुनसिंह भीमसिंह पि. प्रेमसिंह पुष्पा पुत्री प्रेमसिंह मु तारा बेवा प्रेमसिंह का अंकन होना पाया गया है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 3492 रतनसिंह, प्रेमसिंह पिसरान नन्दराम कौम दरोगा अन्य खसरान सहित खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 12.12.1997 के अनुसार रतनसिंह पुत्र नन्दसिंह द्वारा सत्यनारायण पुत्र माधवप्रसाद को विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा बेचान किया जाना पाया गया एंव जमाबंदी संवत 2054 से 2057 के अनुसार विवादित भूमि में रतनसिंह के 1/2 हिस्सा सत्यनारायण के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया एंव जमाबंदी संवत 2059 से 2062 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 3492 के अनुसार सत्यनाराण व प्रेमसिंह के वारीसान के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया एंव इसी जंमाबंदी में लाल स्याही से जरिये नामान्तकरण संख्या 1328 दिनांक 5.5.2014 के अनुसार सत्यानारायण का हिस्सा आई. आई०सी०सी० बैंक लि०जालिया द्वितीय के यहां रहन दर्ज होना पाया गया। उक्त समस्त विवेचन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के पूर्वज प्रेमसिंह द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 05.05.1979 के द्वारा विवादित भूमि को प्रतिवादीया को बेचान किया जाना पाया गया और उसी बेचाननामें में कब्जा भी प्रतिवादीया को दिया जाना पाया गया तथा रतनसिंह द्वारा प्रतिवादीया को विवादित भूमि का अपना हिस्सा बेचान किये जाने के पश्चात पुनः रतनसिंह द्वारा विवादित भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा अपीलांट को रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 12.12.1997 के द्वारा किया गया है, वह पश्चातवर्तीय बेचाननामा होने के कारण से उक्त पश्चातवर्ती बेचाननाम प्रतिवादीया के अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य है। अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथनों को वह साबित करने में विफल रहे है।

अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध दस्तावेजों के आधार पर किया गया है व उनके द्वारा किया गए निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं कि गई है। उनके द्वारा किए गए निर्णय में वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादीया विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा गांव जालिया सैकण्ड (द्वितीय) तहसील बिजयनगर जिला अजमेर खसरा नंबर 3492 रकबा 03-01-00 किस्म चाही-3 में प्रतिवादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जो उचित है।

राजस्थान राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित **न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी 1979 लार्जर बेंच द्वारा** *"किसी आराजीयात का प्रथम बार किया गया रजिस्टर्ड बेचाननामा जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया हो उसके पश्चात उसी आराजीयात का किया गया द्वितीय बैचाननामा शून्य व अस्तित्वहीन है।"*

अतः उपरोक्त न्यायिक नजीर वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होने से व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विधिनुसार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

11. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 89/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/02/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner